फौज.प्र.क. : 944 / 2014

<u>न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)</u> {समक्ष :डी.एस.मण्डलोई}

<u>फौज.प्र.क. : 944 / 2014</u> संस्थित दि: 16 / 10 / 14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,	
जिला बालाघाट (म.प्र.)	अभियोगी

विरुद

-<u>:: निर्णय ::</u>-

(आज दिनांक 16/10/2014 को घोषित किया गया)

- (01) आरोपी पर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) का आरोप है कि आरोपी दिनांक 30.09.2014 को शाम के 07:30 बजे ग्राम कैण्डाटोला पटले ढावा के सामने मेन रोड थाना बिरसा के अन्तर्गत अपने आधिपत्य में एक सफेद रंग की प्लास्टिक की जरीकेन में बीस पांव 180 एम.एल. देशी प्लेन कीमती 880 / रूपये की शराब अवैध रूप से बिना अनुज्ञाप्ति के रखे हुए पाये गये।
- (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आरक्षी केन्द्र बिरसा में पदस्थ प्रवीण कुंमार कुमरे दिनांक 30.09.2014 को हमराह स्टाप आरक्षक 393, 1183 के साथ ग्राम गस्ती हेतु रवाना हुआ था तो उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कैण्डाटोला का एक व्यक्ति अवैध रूप से देशी शराब बोरी में लेकर पैदल जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर हमराह स्टाप को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर जाकर घेराबन्दी कर आरोपी को पढ़कर तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से एक प्लास्टिक की जरीकेन में बीस पांव देशी मसाला 180 एम.एल कीमती 880 / रूपये की शराब अवैध रूप से पाई गई। आरोपी से शराब रखने के लायसेंस के संबंध में पूछने पर आरोपी ने लायसेंस न होना व्यक्त किया। बिना लायसेंस के

फौज.प्र.क. : 944 / 2014

शराब पाया जाना मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी से शराब को समक्ष गवाहों के जप्त कर, आरोपी को गिरफ्तार कर, आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 125/14 कायमी कर आवकश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरूद्ध धारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 34 (क) के तहत यह अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- (03) आरोपी को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढकर सुनाई व समझाई गई।
- (04) आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है:-
 - (अ) क्या आरोपी दिनांक 30.09.2014 को शाम के 07:30 बजे ग्राम कैण्डाटोला पटले ढावा के सामने मेन रोड थाना बिरसा के अन्तर्गत अपने आधिपत्य में एक सफेद रंग की प्लास्टिक की जरीकेन में बीस पांव 180 एम.एल. देशी प्लेन कीमती 880/— रूपये की शराब अवैध रूप से बिना अनुज्ञाप्ति के रखे हुए पाये गये ?

—ःः <u>सकारण निष्कर्ष</u>्यः

- (05) आरोपी को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया ।
- (06) आरोपी द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है ।
- (07) अभियोजन द्वारा आरोपी के विरूद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः आरोपी का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपी के द्वारा अपराध की स्वेचछयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपी को परिविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

फौज.प्र.क. : 944 / 2014

आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध में (80)दोषसिद्ध पाते हुए 2000 / - रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है।

- अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम में आरोपी को एक माह (09)के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे ।
- प्रकरण में जप्तशुदा 20 पांव प्लेन 180 एम.एल. देशी प्लेन कीमती (10)880 / - रूपये की शराब मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया । मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)

